(09)

आदेश

08/2/18

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा दाखिल–खारीज वाद सं0–197/16–17 एवं 198/16–17 में पारित आदेश दिनांक–02.07.2016 के विरूद्ध आवेदिका श्रीमती आसमा खातुन पति–स्व0 शाहजहां ग्राम–गुमो माईकानेट वार्ड नं0–21 पो0–झुमरीतिलैया थाना–तिलैया जिला–कोडरमा द्वारा अपील वाद दायर किया गया।

सुनवाई के पश्चात् विधिवत् उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी लगातार अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय वाद की सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी, कोडरमा से जाँच प्रतिवेदन का मांग किया।

प्रथम पक्ष (आवेदिका) का कहना है कि मौजा–गुमो थाना नं0–12 थाना–तिलैया के अन्तर्गत खाता नं0–579 प्लॉट नं0–1433 रकवा–0.04डी0 भूमि निबंधित केवाला सं0–4568 दिनांक–17.10.2014 एवं निबंधित केवाला सं0–4234 दिनांक–12.09.2012 द्वारा रकवा–0.02डी0 एवं 0.02डी0 कुल रकवा–0.04डी0 भूमि विपक्षी बिबि गोहरजान पति–स्व0 कुरबान शेख ग्राम–गुमो माईकानेट वार्ड नं0–21 पो0–झुमरीतिलैया थाना–कोडरमा जिला–कोडरमा से क्रय करने के उपरान्त अंचल कार्यालय कोडरमा में दाखिल–खारीज हेतु आवेदन दिया गया। जिसे हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन मौजा–गुमो को भौ नं0–4 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। जमाबन्दी स्पष्ट नही होता है। अतः दाखिल–खारीज की अस्वीकृति की जा सकती है, के आधार पर अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा दाखिल–खारीज अस्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर आवेदिका द्वारा अपील वाद दायर किया गया है।

C.C. 1/16
72/26.2.18

अंचल अधिकारी, कोडरमा का पत्रांक–1519 दिनांक–20.12.2017 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–गुमो खाता नं0–579 प्लॉट नं0–1433 रकवा–0.04ए0 भूमि का दाखिल–खारीज के लिए आवेदन दिया गया था। उक्त खाता से संबंधित विक्रेता के नाम से जमाबन्दी जीर्णशीर्ण रहने के कारण स्पष्ट नही है। विक्रेता से सम्पर्क का उक्त भूमि से संबंधित निर्गत लगान रसीद का मांग किया, परन्तु विक्रेता के द्वारा रसीद उपलब्ध नही कराई गई। अतएव वाद सं0–197/16–17 और 198/16–17 को अस्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की गई प्रतिवेदित किया गया है।

[signature] 8/2/18

अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन से स्वतः स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा रसीद उपलब्ध नही कराने एवं जमाबन्दी जीर्णशीर्ण रहने के कारण हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल–खारीज अस्वीकृत किया गया है जो न्यायोचित प्रतित नही होता है। चूंकि जमाबन्दी पंजी का रख–रखाव की पूर्ण दायित्व हल्का कर्मचारी का होता है न की रैयतों का।

अतः दाखिल–खारीज वाद सं0–197/16–17 और 198/16–17 में पारित आदेश को रदद् करते हुए अंचल अधिकारी, कोडरमा को निदेश दिया जाता है कि हल्का कार्यालय में उपलब्ध राजस्व कागजातों एवं स्थल का जांचकर नियमानुसार दाखिल–खारीज की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख अंचल अधिकारी को वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

28/2/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।

28/2/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।